

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**आदेश**

सं०-10/निजी-01-1140/2025

पटना/दिनांक-

श्रीमती लता मीना (आई०डी०-5718), सहायक अभियंता-1, सम्पोषण, वाल्मी, पटना का दिनांक-02.02.2026 से दिनांक-29.03.2026 तक कुल-56 (छप्पन) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना के पत्रांक-1323 दिनांक-21.07.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता (दिनांक-01.02.2026 तक) के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती मीना के अवकाश लेखा में शेष-73 (तिहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1140/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना के पत्रांक-1323 दिनांक-21.07.2026 को संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
अनु०-यथोक्त।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1140/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना को विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1140/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती लता मीना (आई०डी०-5718), सहायक अभियंता-1, सम्पोषण, वाल्मी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1140/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।